संख्या-432/2022/1967 /001-111 budget 2019 TC 2

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई 2022

विषय- **जनपद मथुरा के छाता स्थित पय गांव में गोपाल कुण्ड का जीर्णोद्धार /सौन्दर्यीकरण एवं पहुंच मार्ग के कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2035/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(55)/2019-20, दिनांक 21 जून 2022 एवं पत्र सं0-2255/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(55)/2019-20, दिनांक 28 जून 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद मथुरा के छाता स्थित पय गांव में गोपाल कुण्ड का जीर्णोद्धार /सौन्दर्यीकरण एवं पहुंच मार्ग के कार्य हेतु** नामित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 402.50 लाख + जी0एस0टी0 की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 201.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-211/2019/1735/41-2019-111(बजट)/2019 दिनांक 13-8-2019 द्वारा निर्गत की गई थी। तदनन्तर महानिदेशक, पर्यटन के पत्र सं0-6668/6-1-1(13)/ब्र0ती0वि0प0/2019, दिनांक 19 जनवरी 2022 एवं पत्र सं0-7243/6-1-1(13)/ब्र0ती0वि0प0/2019, दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुक्रम में शासनादेश सं0-68/ 2022/367/41-2022-111(बजट)/2019 टी0सी0-2 दिनांक 03 मार्च 2022 द्वारा प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0-100.63 लाख (रू0- एक करोड तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई । परन्तु पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-2035/6-1-1/ ब्र0ती0वि0प0 (55)/2019-20,दिनांक 21 जून 2022 द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त की पुन: मांग की गई और पत्रांक-2255/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(55)/2019-20 दिनांक 28-06-2022 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि संदर्भगत शासनादेश दि0-03 मार्च 2022 बजट आंवटन हेतु लेखा अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ और इस शासनादेश की स्वीकृति सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड नहीं की गई थी जिसके कारण धनराशि का आहरण नहीं हो सका।

3- इस संबंध में अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह विदित हुआ है कि उक्त शासनादेश विभागीय ई-मेल के माध्यम से दिनांक 03 मार्च 2022 को पर्यटन निदेशालय को भेजा गया है ,अतः शासनादेश दि0-3-3-22 के लेखा अनुभाग में अप्राप्त होने का तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। वस्तुतः संदर्भगत शासनादेश की प्रति ई-मेल से डाउनलोड करके धनराशि का आहरण किया जाना चाहिये था। अतः बिना किसी आधार के सेन्ट्रल सर्वर पर धनराशि अपलोड नहीं होने की सूचना देते हुये उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस परियोजना हेतु श्री धर्मवीर शर्मा ,सहायक अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित व्यय विवरण दिनांक 8-3-22 जो ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था, उसमें कन्टीजेन्सी मद में रू0-5.61 लाख /कन्सल्टेन्सी मद में रू0-4.21 लाख एवं जी0एस0टी0 मद में रू0-33.66 लाख दर्शाया गया है। जबकि महानिदेशक पर्यटन के पत्र सं0-2035/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(55)/2019-20 दिनांक दिनांक 21-6-22 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण में कन्टीजेन्सी- मद को शून्य / कन्सलटेन्सी मद में रू0-4.21 लाख के बजाय रू0-4.77 लाख एवं जी0एस0टी0 मद में रू0-57.11 लाख दर्शाया गया है।

5- उक्त संदर्भ में दिनांक-29-06-2022 को निदेशालय में कार्यदायी संस्था के साथ हुई बैठक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

(1) ई-मेल के माध्यम से भेजे गये व्यय विवरण एवं आपके पत्र के साथ भेजे गये व्यय विवरण में से कौन सा सही है।

(2) ई-मेल से भेजे गये शासनादेश सं0-68/ 2022/367/41-2022-111(बजट)/2019 टी0सी0-2 दि0-03-03-2022 की प्रति किस कारण से निदेशालय द्वारा डाउनलोड कर/ग्रहण कर कार्यवाही नहीं की गई और इस अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्य के लिये उत्तरदायी है।

6- संदर्भगत प्रायोजना के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद मथुरा के छाता स्थित पय गांव में गोपाल कुण्ड का जीर्णोद्धार /सौन्दर्यीकरण एवं पहुंच मार्ग के कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेश सं0-68/2022/367/41-2022-111(बजट)/2019 टी0सी0-2 दि0-03-03-2022 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना के अग्रतर कार्यों को कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0-100.63 लाख (रू0- एक करोड तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तर-5 पर वांछित सूचना उपलब्ध कराने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में वास्तविक लागत से अधिक एवं दोहरा आहरण/भुगतान न हो ।

7- उपरोक्त प्रस्तर-6 में अवमुक्त की जा रही धनराशि को आहरित/अवमुक्त करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-211 /2019/1735/41-2019-111(बजट)/2019 दिनांक 13-8-2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या:13/2022/बी-1-454/ दस-2022- 231/2022 दिनांक- 07 जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र –जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4)यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।
(13) उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,63,000 (रुपये एक करोड़ त्रेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801044200 उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
5- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in